(किरायेदार हेतु)

आवेदक की फोटो

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त जोन–06,
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर ।

सर्वे क्रमांक..................
टीम नं.......................

विषय : झोटवाडा आर.ओ.बी. एवं एलिवेटेड रोड के निर्माण से प्रभावित किराये पर ली गई भूमि/भूखण्ड संख्या .... में से प्रभावित क्षेत्रफल .... के मुआवजे स्वरूप ज्योतिबा फूले रिटेल व्यावसायिक योजना में जरिये लाटरी आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या .... कुल क्षेत्रफल .... के आवंटन पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी की किराये पर ली गई भूमि/भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... झोटवाडा आर.ओ.बी. एवं एलिवेटेड रोड के निर्माण से प्रभावित है। मैं उक्त भूमि/स्ट्रक्चर का किरायेदार हूं। मुझे प्रभावित क्षेत्रफल के मुआवजे स्वरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जरिये लाटरी ज्योतिबा फूले रिटेल व्यावसायिक योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या .... क्षेत्रफल .... का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुझे उक्त आवंटित भूखण्डो का आवंटन पत्र जारी किया जावे।

प्रार्थी

दिनांक ....

संलग्न :–

1. किराया सम्बन्धी दस्तावेजो की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपियां।
2. क्षतिपूर्ति अनुबन्ध पत्र (200/– रू. के स्टाम्प पर)
3. शपथ पत्र (50/– रू. के स्टाम्प पर)
4. अन्डर टेकिंग (500/– रू. के स्टाम्प पर)
5. अपनी पहचान हेतु पहचान पत्र/ आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति।

50/– का स्टाम्प पेपर

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उम्र .... वर्ष निवासी .... का हूँ । यह है कि भूमि/भूखण्ड स्थित ग्राम .... तहसील .... खसरा नम्बर/भूखण्ड संख्या .... की भूमि व निर्मित तामीरात झोटवाडा आर.ओ.बी/एलिवेटेड रोड के निर्माण से प्रभावित है, जिसका मैं किरायेदार हूं।

मेरे हिस्से के किराये के उपरोक्त वर्णित भूमि/भूखण्ड/निर्मित तामीरात के संबंध में निम्न प्रकार शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :–

1. यह है कि किराये पर ली गई प्रभावित भूमि/भूखण्ड/निर्मित तामीरात के समर्पण के फलस्वरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुझे महात्मा ज्योतिबा फूले रिटेल व्यावसायिक योजना में जरिये लाटरी से भूखण्ड संख्या .... कुल क्षेत्रफल .... आवंटित किया गया है। इसे मैं किरायेदार के रूप में प्रभावित भूमि/भूखण्ड के मुआवजे के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से स्वीकार करता हूं तथा यह बयान करता हूं कि मेरे द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के मुआवजे की मांग नही की जावेगी। मैं इसके लिये वचनबद्ध हूं।
2. किराये पर ली गई भूमि/भूखण्ड के संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में मुआवजे की किसी भी प्रकार की राशि/भूमि/भूखण्ड प्राप्त नही किया गया है।
3. मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित अण्डर टेकिंग में अंकित समस्त तथ्य सही हैं । इसकी मै व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ । मैने कोई तथ्य नही छुपाया हैं । इस संबंध में आज से पूर्व या पश्चात यदि कोई उज्र/विवाद होगा तो उसका निपटारा भी मेरे द्वारा अपने हर्जे खर्चे पर कराया जावेगा ।
4. यह है कि किराये पर ली गई उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित किराये की कोई राशि बकाया नही है। यदि दुकान/मकान मालिक द्वारा उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में बकाया राशि निकाली जाती है अथवा पूर्व के पानी–बिजली के बिल बकाया रहते है तो उसे चुकाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण का कोई दायित्व उत्पन्न नही होगा।
5. उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 3 तक सूचना मिथ्या होने की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण में निर्धारित दायित्व निष्पादित करने हेतु उत्तरदायी नही होगा एवं मेरा दावा स्वत ही निरस्त समझा जावेगा ।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

यह है कि उक्त शपथ पत्र के स्तम्भ 1 से 5 तक की सूचना मेरी निजी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य हैं, इसमें मैने कोई भी तथ्य नही छुपाया है। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

500/– का स्टाम्प पेपर

अण्डरटेकिंग

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... उम्र .... वर्ष निवासी .... का हूँ । यह है कि भूमि/भूखण्ड स्थित ग्राम .... तहसील .... खसरा नम्बर/भूखण्ड संख्या .... की भूमि व निर्मित तामीरात झोटवाडा आर.ओ.बी/एलिवेटेड रोड के निर्माण से प्रभावित है, जिसका मैं भू–स्वामी/किरायेदार हूं। मैं निम्नानुसार अण्डरटेकिंग देता हूं किः–

1 यह है कि भूमि/भूखण्ड स्थित ग्राम .... तहसील .... खसरा नम्बर/भूखण्ड संख्या .... की भूमि व निर्मित तामीरात झोटवाडा आर. ओ.बी/एलिवेटेड रोड के निर्माण से प्रभावित है। मैं उक्त भूमि का खातेदार/हितधारी/मूल खातेदार की मृत्यु के बाद वारिस/क्रेता/अन्तिम क्रेता/किरायेदार हूं।

2 यह है कि मेरे द्वारा किराये पर ली गई भूमि/भूखण्ड/निर्मित तामीरात उक्त आर.ओ.बी. निर्माण से प्रभावित भूमि को समर्पण के फलस्वरूप मुआवजे स्वरूप विकसित भूमि का आवंटन करने हेतु जविप्रा को आवेदन प्रस्तुत किया है।

3 यह है कि प्रभावित भूमि के स्वामित्व या हक के बारे में भविष्य में कोई विवाद पैदा होता है या किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न होते है, जिससे जविप्रा को कोई भी हानि होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी तथा जयपुर विकास प्राधिकरण को मुआवते स्वरूप आवंटित की गई भूमि की लीजडीड निरस्त कर उपरोक्त भूमि का कब्जा वापस प्राप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

4 यह है कि मैं प्रभावित भूमि के मुआवजे स्वरूप आवंटित की गई भूमि मुआवजे के रूप में अन्तिम रूप से स्वीकार करता हूं। मेरे द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार से अन्य मुआवजे की मांग नही की जावेगी तथा जविप्रा को प्रभावित भूमि को कब्जे में लेकर तथा प्रभावित पुख्ता निर्मित तामीरात को ध्वस्त कर एलिवेटेड सडक निर्माण करने का अधिकार होगा।

5 यह है कि यह अण्डरटेकिंग जविप्रा द्वारा निर्माणाधीन झोटवाडा आर.ओ. बी/एलिवेटेड रोड से प्रभावित भूमि स्थित ग्राम ....तहसील .... के भूखण्ड संख्या ....क्षेत्रफल .... का नगद मुआवजे के स्थान पर मुआवजे स्वरूप विकसित भूमि चाहने के समर्थन में प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर